

कार्यालय प्रमुख अभियंता

म.प्र.लोक निर्माण विभाग, प्लॉट नं.27-28 निर्माण भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

website : www.mp.gov.in/pwdmp

email : pwdbhop@mp.nic.in

Phone - 0755 - 2551485, Fax - 2556527

क्रमांक 01/प्रअ/प्रशा.अका/ट्रेनिंग/2017-18/

भोपाल दिनांक /06/2017

आदेश

आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में वर्ष 2017-18 में आयोजित प्रशिक्षण में निम्नानुसार अधिकारियों को नामांकित किया जाता है।

कोड क्र. 371 " वित्तीय प्रबंधन (बेसिक)" अवधि 24 से 28 जुलाई 2017

क्र	अधिकारियों के नाम	पदनाम	पदस्थगी	मोबाईल नं.
1	श्री पंकज व्यास	कार्यपालन यंत्री	लो.नि.वि. संभाग नया भोपाल	9425070691
2	श्री जी.पी. वर्मा	कार्यपालन यंत्री	लो.नि.वि. उपसंभाग विदिशा	9425002568
3	श्री प्रभाकर सिंह परिहार	प्रभारी कार्यपालन यंत्री	लो.नि.वि.सेतु संभाग रीवा	9425184866
4	श्री बाबूलाल पनिका	सहायक यंत्री	लो.नि.वि. उपसंभाग लखनादौन	9926139143

- हस्ता -

(इंजी अखिलेश अग्रवाल)

प्रमुख अभियंता


लोक निर्माण विभाग भोपाल

पृ.क्रमांक 01/प्र अ/प्रशा.अका./ट्रेनिंग/2017-18/ 609

भोपाल दिनांक 28/06/2017

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लो.नि.वि. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रशिक्षण संचालक, आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी संस्थान 1100, क्वाटर्स अरेरा कालोनी म.प्र. भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 4339/अका/प्रशि/26-26A /2017-18 भोपाल दि. 21.06.2017 एवं कार्या. पत्र क्र.01/प्र.अ/प्रशा. अका./ट्रेनिंग /2017 -18/566 भोपाल दि.12/05/2017 के तारतम्य में सूचनार्थ। कृपया प्रशिक्षण उपरांत देयक मय उपस्थिति पत्रक के इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। जिससे भुगतान की कार्यवाही यथा समय संभव हो सके।
3. मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. परिक्षेत्र की ओर। कृपया अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से भाग लिया जाना सुनिश्चित करें। अपरिहार्य कारण से संबंधित अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण में भाग लेने में असमर्थ रहने की स्थिति में अपने स्तर से प्रशिक्षण में अन्य अधिकारी को यथासमय नामांकित करते हुए इस कार्यालय को सूचना दें।
4. संबंधित अधिकारी की ओर। विषयांकित प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से नियत समय पर (प्रातः 9:30 बजे) प्रशा. अका. संस्थान भोपाल में अपनी फोटो आई डी के साथ उपस्थित हों। पदस्थापना में परिवर्तन की स्थिति में भी आपके द्वारा प्रशिक्षण में भाग लिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. (आई.टी.सेल) कार्या. प्र.अ.लो.नि.वि. भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



(इंजी अखिलेश अग्रवाल)

प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग भोपाल